फा.सं.क्यू-11/2/2021-एग्री.कॉम्प#36181

भारत सरकार

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

ज्ञान एवं नवाचार केंद्र (केआईएच)

(कृषि वर्टिकल)

204, नीति भवन,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांकः सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः "गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ जैविक खाद उत्पादन और प्रचार" संबंधी कार्य दल।

नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गौशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ "जैविक खाद और विपणन संबंधी बाध्यताएं" पर 09 जुलाई, 2021 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में सदस्य (कृषि), नीति आयोग की अध्यक्षता में "गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ जैविक खाद उत्पादन और प्रचार" पर एक कार्य दल गठित किया गया है जिसकी संरचना निम्नलिखित हैः

क्रम सं.	**नाम**	**पदनाम एवं संगठन**
1.	प्रो. रमेश चंद	माननीय सदस्य (कृषि), नीति आयोग **अध्यक्ष**, कार्यदल
2.	डॉ. योगेश सूरी	वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग
3.	श्री ओ.पी. चौधरी	संयुक्त सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग
4.	प्रतिनिधि	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
5.	प्रतिनिधि	उर्वरक विभाग
6.	निदेशक	राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र
7.	प्रोफ. वीरेन्द्र कुमार विजय	प्रोफेसर, सीआरडीटी, आईआईटी दिल्ली
8.	डॉ.वाई.वी.सिंह	प्रधान वैज्ञानिक, माइक्रोबायलॉजी प्रभाग, आईएआरआई
9.	प्रतिनिधि	खादी ग्राम उद्योग
10.	प्रतिनिधि	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
11.	श्री शंकर चौधरी	अध्यक्ष, बनस डेयरी, गुजरात
12.	प्रतिनिधि	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
13.	श्री शाश्वत असावा	परियोजना संयोजक, श्री माताजी गौशाला, बरसाना, मथुरा
14.	डॉ. नीलम पटेल	वरिष्ठ सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, सदस्य सचिव

2. कार्य दल के अध्यक्ष, जैसा कि आवश्यक हो, बैठक के लिए कोई अतिरिक्त सदस्य/ सदस्यों या विशेष अतिथि को आमंत्रित कर सकते हैं।

3. कार्य दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

(i) देश में जैविक खाद उत्पादन और खपत की स्थिति का आकलन और उसके निहितार्थों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करना।

(ii) जैव उर्वरकों के लिए भारत सरकार का जैव उर्वरक नियंत्रण आदेश के माध्यम से जैविक खाद के मौजूदा मानकों का आकलन और तत्संबंधी सिफारिशों सहित मौजूदा परीक्षण सुविधाओं और इसके दायरे को बढ़ाने के लिए बदलाव का सुझाव देना।

(iii) गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील तरीकों और नीतियों को तैयार करना और विशेष रूप से गौशालाओं के मवेशियों को आर्थिक संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने के लिए जैव उर्वरक और जैव-ऊर्जा के रूप में गाय की खाद का उपयोग करना।

(iv) ब्रैंडों के विकास सहित जैव उर्वरकों के वाणिज्यिक उत्पादन, पैकेजिंग, विपणन एवं वितरण के लिए उपाय/नीतियां तैयार करना और जैव उर्वरकों के विपणन एवं प्रमाणीकरण में होने वाली कठिनाइयों का समाधान करना।

(v) उपजाऊ ठोस और तरल जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए गोशालाओं, डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का पता लगाना।

(vi) अजैविक उर्वरकों के साथ समान अवसर पैदा करने के लिए जैव उर्वरकों के वाणिज्यिक उत्पादन, पैकेजिंग, विपणन एवं वितरण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तंत्र और नीतिगत समर्थन हेतु सुझाव देना।

4. कार्य दल तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

इसे उपाध्यक्ष, नीति आयोग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(नीलम पटेल)
वरिष्ठ सलाहकार

सेवा में

कार्य दल के अध्यक्ष एवं सदस्य

प्रतिलिपि सूचना हेतु अग्रेषितः

1. माननीय उपाध्यक्ष, नीति आयोग के निजी सचिव
2. माननीय सदस्य (कृषि), नीति आयोग के प्रधान निजी सचिव
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के प्रधान स्टाफ अधिकारी
4. अपर सचिव, नीति आयोग के प्रधान निजी सचिव